बेबी रानी मौर्य
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

सत्यमेव जयते

राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या–3301 / जी0एस0 / शिक्षा / C6-4(II) / 2017

देहरादून : दिनांक : 13 दिसम्बर, 2019

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 121 / 2019 (एस.बी.) यज्ञ भूषण शर्मा बनाम् कुलाधिपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून व अन्य में दिनांक 03–12–2019 को पारित निर्णय द्वारा दून विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के आदेश दिनांक 29–01–2018 से नियुक्त कुलपति डा0 चन्द्रशेखर नौटियाल को कुलपति पद धारित करने व कुलपति की शक्तियों का प्रयोग करने से निषेधित किया गया है, जिसके फलस्वरुप रिक्त हुए कुलपति पद पर नियमानुसार नियमित चयन होने में समय लगना अवश्यम्भावी है।

अतः नितान्त अस्थाई व्यवस्था के तहत छः माह की अवधि तक अथवा कुलपति पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, दून विश्वविद्यालय परिनियमावली, 2009 के परिनियम–3(7) के अनुसार दून विश्वविद्यालय में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण डा0 अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी–गढ़वाल को अपने मूल पद के अतिरिक्त दून विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति पद सम्बन्धी दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया जाता है।

बेबी रानी मौर्य
कुलाधिपति।

संख्या 3301 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / C6-4(II) / 2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. डा0 अजीत कुमार कर्नाटक, कुलपति, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी–गढ़वाल।
5. डा0 चन्द्र शेखर नौटियाल।
6. कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव श्री राज्यपाल।